




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



आदेश क्रमांक 20/2-2023 PS(4)

दिनांक, पंचकूला 28.07.2023

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003 के नियम 42(2)(c) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबन्धक Mansa Ram Ram Gopal Education Society, Misri द्वारा संचालित विद्यालय Sharde Public School, Misri, Charkhi Dadri का नाम बदलकर RPS Public School, Misri, Charkhi Dadri करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह विभाग के आदेश क्रमांक 19/5-2013 PS(3) दिनांक 09.09.2014 के तहत प्रदान की गई स्थाई मान्यता में निहित शर्त एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003, 2007 व 2009 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करती रहेगी।

डा० अशज सिंह, आई०ए०एस०
निदेशक सैकेंडरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम-

दिनांक, पंचकूला : 28/7/2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रबन्धक, Mansa Ram Ram Gopal Education Society, Misri (सोसाईटी का नाम)
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, चरखीदादरी।
5. प्रधानाचार्य, RPS Public School, Misri, Charkhi Dadri (विद्यालय का नया नाम)
6. आई०टी० सैल।
7. ऑफिस रिकार्ड।

Rajendra
31/7/23
उप० अधीक्षक पी०एस०
कृते: निदेशक सैकेंडरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।